क्रम-संख्या–144(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 17 अगस्त, 2023

श्रावण 26, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1270 / वि0स0 / संसदीय / 75(सं)-2023

लखनऊ, 7 अगस्त, 2023

———————

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2016'' के स्थान पर शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2021'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन, (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधो के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दाण्डिक विचारणों के उपशमन का उपबन्ध करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया था।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 कतिपय केंद्रीय अधिनियमितियों के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए किसी अभियुक्त के विचारण को उपशमित करने तथा एक निश्चित दिनांक से पूर्व लंबित कतिपय कार्यवाहियों के शमन करने हेतु उपबंध करती है। उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019) द्वारा उपशमन की पूर्वोक्त अवधि को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया गया। यदि पूर्वोक्त दिनांक आगे बढ़ाया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय न्यायालयों में लम्बित बड़ी संख्या में वादों के निस्तारण की सम्भावना है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 को संशोधित करने हेतु किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाहियों या कतिपय विचारणों के उपशमन की पूर्वोक्त अवधि को 31 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण :–

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979

धारा 9	2–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,–	कतिपय विचारण का उपशमन
	(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो :–	
	(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या	
	(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के संबंध में अपराध न हो, या	
	(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या	
	(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दंडनीय है, या	
	(ख) केवल जुर्माना से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या	
	(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का,	
	जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।	

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR

SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 1030/XC-1014-(003)–3-2023

Dated Lucknow, August 17, 2023

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Dhand Vidhi (Apraadhon ka Shaman aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 2023.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT))

BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 22nd March, 2023.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 2016" the word and figures "December 31, 2021" shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials.

Section 9 of the aforesaid Act provides for abatement of trial of an accused for offences punishable under certain Central enactments and for abatement of certain proceedings pending before a certain date. The said section has been amended from time to time to change the period/date before which the aforesaid trials/proceedings can be abated. The aforesaid period of abatement was extended up to December 31, 2016 *vide* the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2019 (U.P. Act no. 21 of 2019). There is a possibility of disposal of larger number of cases pending in the Hon'ble Courts of the State of Uttar Pradesh if the aforesaid date is further extended.

In view of the above, it has been decided to amend section 9 of the aforesaid Act to extend the aforesaid period for abatement of certain trails or proceedings pending before a Magistrate to December 31, 2021.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Act no. 2 of 2023) was promulgated by the Governor on 22nd March, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

.

YOGI ADITYANATH,
Mukhya Mantri.

By order,
J. P. SINGH-II
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 493 राजपत्र–2023–(1623)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

493 RPH (Dhand Vidhi)(Sansadiya folder vidhaika-23- Data 7e